सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स सेल्फ सपोर्टिंग को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी, धुर्वा, राँची

दिनांक 18.11.2025 को सिविल सर्विसेस ऑफिसर्स सेल्फ सपोर्टिंग को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी के कार्यकारिणी समिति की बैठक अपराह्न 5:00 बजे पलाश ऑडिटोरियम, वन भवन, डोरण्डा, राँची में श्री आर0 पी0 सिंह, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित निदेशक मण्डल के सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य उपस्थित हुएः–

1. श्री आर0 पी0 सिंह, भा0व0से0 – अध्यक्ष
2. श्री हंस राज सिंह, भा0प्र0से0 – सचिव
3. श्री रेजी डुंगडुग, भा0पु0से0 – निदेशक
4. श्री सतीश कुमार, भा0रे0से0 – निदेशक
5. श्री आर0 के0 मल्लिक, भा0पु0से0 – विशेष आमंत्रित सदस्य
6. श्री सिद्धार्थ त्रिपाठी, भा0व0से0 – विशेष आमंत्रित सदस्य
7. श्री डी0 के0 सक्सेना, भा0व0से0 – विशेष आमंत्रित सदस्य
8. श्री जटा शंकर चौधरी, भा0प्र0से0 – विशेष आमंत्रित सदस्य
9. श्री अविनाश कुमार सिंह, भा0प्र0से0 – विशेष आमंत्रित सदस्य

1. प्लॉट के निबंधन कार्य एवं निबंधन सुधार पत्र के प्रकिया की विस्तृत जानकारी ली गयी। पूर्व में कुल 240 सदस्य थे, जिसमें से 203 सदस्यों का निबंधन कार्य पूर्ण हो चुका था। 37 सदस्यों का निबंधन कार्य अबतक नहीं हुआ है। वर्तमान में निबंधित सदस्यों का रेक्टिफिकेशन कार्य जारी है। वैसे सदस्य जिनका निबंधन कार्य उनके पक्ष में होने के बाद अपने भू–खण्डों को आपसी सहमति से एवं सोसाईटी की मंजूरी के पश्चात हस्तान्तरित कर दिए। दूसरे सदस्य वैसे हैं, जिनका निबंधन कार्य नहीं हुआ था, लेकिन वे अपने भू–खण्ड को आपसी सहमति एवं सोसाईटी की मंजूरी से हस्तांतरित कर दिए, जिसकी स्वीकृति सोसाईटी से भी प्राप्त हो चुका है। यह भी निर्णय हुआ कि वैसे सदस्य जिनका पूर्व में निबंधन हो चुका है, उनके निबंधित दस्तावेज का सुधार पत्र सोसाईटी द्वारा किया जाएगा एवं उसके बाद उस सुधार पत्र के आलोक में नये सदस्यों को हस्तान्तरण कर सकेगें। वैसे सदस्य जिनका पूर्व में निबंधन नहीं हो सका और वे अपने आवंटित भू–खण्ड

का नये सदस्यों के नाम हस्तांतरित कर दिये हैं, उनका निबंधन सोसाईटी द्वारा किया जाएगा।

2. सोसाईटी के सांगा कैम्पस के अधीन रैयती जमीन के क्रय करने की समीक्षा की गयी। रैयती जमीन क्रय करने हेतु दर निर्धारित किया जाए। साथ इससे सम्बन्धित पूर्व गठित कमिटी से इसका प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जाय। यह निर्णय लिया गया कि रैयती भू–खण्ड क्रय करने सम्बन्धित गठित समिति का प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जाय।

3. सोसाईटी के 56 सेट स्थित अस्थायी कार्यालय को दिसम्बर 2025 से खाली करने का निर्णय लिया गया है, जिसके आलोक में अशोकनगर स्थित कार्यालय में आंशिक रिनोवेशन किया गया है ताकि पहले के सारे अभिलेख को अशोकनगर कार्यालय में स्थान्तरित किया जा सके। अशोक नगर कार्यालय में कराये गये रिनोवेशन कार्य की समीक्षा की गयी। जिसपर लगभग 35,000/– रूपये खर्च हुआ है, जिसके फलस्वरूप कार्यालय में वर्किंग स्पेस बढ़ गया है। इस प्रकार अब 56 सेट कार्यालय के सभी सामान अशोकनगर कार्यालय में स्थानान्तरित हो सकेगा।

कार्यकारिणी समिति की बैठक में सर्वसम्मति से इसकी स्वीकृति प्रदान दी गयी।

4. सोसाईटी के जिन सदस्यों का तीसरा एवं चौथा विकास मद की राशि बाकी है, उनके बकाये की राशि के लिए पैनल रेन्ट 1 जनवरी, 2026 से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया। यह दर 12% की दर से भुगतेय होगा।

5. सोसाईटी के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु कार्यालय में एक कम्प्यूटर ऑपरेटर की अत्यन्त आवश्यकता है, जिसपर चर्चा की गयी। दिसम्बर, 2025 से एक कम्प्यूटर ऑपरेटर रू0 20,000/– (बीस हजार रूपये)

मात्र प्रतिमाह के मासिक मानदेय + रू0 500/– मोबाईल खर्च पर रखने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

6. (क) सोसाईटी के सपोर्टिंग स्टाफ का मानदेय एवं यातायात भत्ता में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। कर्मचारी को वार्षिक वेतन वृद्धि, मानदेय, यातायात भत्ता में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में अगली बैठक में निर्णय लिया जाएगा।
(ख) सोसाईटी को कार्यालय व्यय मद में अनुमानित वार्षिक खर्च क्या है एवं वार्षिक अनुमानित आमदनी सूद से क्या है? इसकी विस्तृत विवरणी प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया ताकि कर्मचारी को वार्षिक वेतन वृद्धि, मानदेय, यातायात भत्ता में यथोचित बढ़ोतरी का निर्णय लिया जा सके।

7. सोसाईटी के सपोर्टिंग स्टाफ को दीवाली त्योहार पर मिलने वाले उपहार पर चर्चा की गयी। रू0 1000/– (एक हजार रूपये) का उपयोगी सामग्री देने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

8. सोसाईटी के रजिस्ट्रेशन वेन्डर श्री अनुप बर्म्मन् द्वारा सदस्यों के भू–खण्डों का रजिस्ट्रेशन/डीड रेक्टिफिकेशन कराने हेतु नये दर के लिए आवेदन दिया गया है। पूर्व में उन्हें सोसाईटी द्वारा प्रति रजिस्ट्रेशन रू0 3500/– प्रति डीड के दर से भुगतान किया जाता था। अब चूँकि अंतिम रजिस्ट्रेशन 2017 में हुआ था और अब उसके पश्चात 8 वर्षों के पश्चात फिर से यह कार्य हो रहा है, इसलिए वेन्डर के रजिस्ट्रेशन फीस में बढ़ोत्तरी पर विचार विमर्श किया गया।

वर्तमान में भू–खण्ड का रजिस्ट्रेशन के लिए वकीलों द्वारा रू0 10 से 15 हजार प्रति डीड लिया जाता है। समिति के लगभग 235 सदस्यों के भू–खण्डों का डीड रजिस्ट्रेशन एवं डीड रेक्टीफिकेशन का कार्य किया जाना है।

श्री अनुप बर्म्मन्, वेण्डर द्वारा प्रति डीड रू0 8000/– के दर पर भुगतान करने का अनुरोध किया गया है, जिसे कार्यकारिणी समिति द्वारा बैठक में गहन विचार–विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

9. वर्तमान मे समिति के सचिव श्री हंसराज सिंह के द्वारा रजिस्ट्रेशन/डीड रेक्टीफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में समिति के निदेशक मण्डल के सदस्य की संख्या कम है एवं समिति के सदस्यों की संख्या काफी अधिक है। इस प्रकार केवल सचिव द्वारा निबंधन कराने में काफी समय लग जाएगा।

समिति के सदस्यों के प्लॉट का निबंधन शीघ्र कराने के उद्धेश्य से कार्यकारिणी समिति ने सर्वसम्मति से श्री आर0 पी0 सिंह अध्यक्ष को इस कार्य हेतु अधिकृत किया। भविष्य में निदेशक की संख्या बढ़ने के पश्चात अन्य निदेशक को भी अधिकृत किया जाएगा।

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्रवाई सम्पन्न की गयी।

(आर0 पी0 सिंह)
अध्यक्ष